

10-6-24

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित
प्रकरण में वकील वादी संशोधित अनवान
पेश करने का अवसर चाहते हैं। पूर्व में इन्हें
कई अवसर दिये जा चुके हैं। दिनांक 3.4.24 को
चाय हित में अन्तिम अवसर दिया गया था।
किन्तु फिर भी न्यायालय आदेश की पालना
वकील वादी व वादी द्वारा नहीं की गई है।
अतः वाद अर्थात् 53-88 R.T.A का आदेश 09
नि. 05 वादी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो।

XX